UPMP010024782026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02022**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं० 830/2026

1. श्रीमती वंदना देवी पत्नी प्यारेलाल

2.प्यारेलाल पुत्र रघुनाथ सिंह निवासीगण ग्राम नगला कुँआ, थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

–––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी/वादी

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण श्रीमती **वंदना देवी व प्यारेलाल की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन. एस.एस. मुकदमा अपराध संख्या– 184/2026 , अन्तर्गत धारा– 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. थाना– भोगांव** जिला मैनपुरी में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इस जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि,''वादी मुकदमा सूबेदार पुत्र श्री सुम्मेर मुहल्ला जगतनगर मौजा महावतपुर कस्बा व थाना भोगांव जनपद मैनपुरी का निवासी है तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्राथी को वर्ष 1976 में भूमिहीन होने के कारण गाटा संख्या 862 में 0.3240 एकड़ का पट्टा मौजा महावतपुर में दिया गया था, जिस पर प्रार्थी उस समय से अब तक काबिज है। प्रार्थी को पता चला कि उसकी भूमि का बैनामा हो चुका है, तब प्रार्थी द्वारा अपने नाम की फर्द निकलवाई तो उसमें अंकित था कि दिनांक 13.10.2021 व 16.08.2022 को तहसीलदार भोगाँव द्वारा दाखिल खारिज श्रीमती वंदना देवी पत्नी श्री प्यारेलाल निवासी नगला कुँआ मौजा सुलखनपुर तहसील भोगाँव के नाम अंकित है, तब प्रार्थी द्वारा तहसील में मुआयना कराकर उक्त जमीन का बैनामा निकलवाया गया तो दिनांक 03.08.2021 को मेरे नाम से दर्ज भूमि का किसी अन्य व्यक्ति ने खड़े होकर बैनामा दो बार में श्रीमती वंदना देवी उपरोक्त के नाम बैनामा रजिस्ट्री कार्यालय भोगांव में कर दिये हैं। इस बैनामा में गवाह क्रेता श्रीमती वंदना देवी के पति प्यारे लाल पुत्र सनू निवासी नगला कुँआ और दूसरा गवाह मुन्ना लाल पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी नगला कन्ही मौजा विनोदपुर तहसील भोगांव, मैनपुरी है तथा बैनामा में विक्री धनराशि जिस खाते में जमा किया गया है, उसका खाता संख्या 073310100003203 आर्यावर्त बैंक में संचालित है, पता करने पर उक्त खाता संख्या के खातेदार श्री

संजय कुमार पुत्र श्री देशराज निवासी नगला देवी मौजा गुलरियापुर थाना किशनी मैनपुरी पाया गया। क्रेता श्रीमती वंदना देवी से वहीं से कुछ भले व्यक्तियों को लेकर बात की गयी तो बताया कि रामरहीस यादव निवासी नगला चुन्नी थाना भोगाँव, मैनपुरी के द्वारा यह बैनामा मेरे नाम करवाये गये हैं। मुझसे यह कहा था कि यह जमीन अनुसूचित जाति की है मेरे नाम नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति का नहीं हूँ और तुम अनुसूचित जाति के जाटव हो। इस बैनामा में जो खर्चा – हुआ है वो रामरहीस यादव द्वारा किया गया है। मुन्नालाल गवाह बैनामा में कहा कि जिस व्यक्ति ने बैनामा किया है, या जिसने बैनामा कराया है उसे आपके सामने एक–दो दिन में खड़ा कर दूँगा। रामरहीस भू–माफिया है। इस प्रकार के कृत्य पहले और भी कर चुका है। प्रार्थी के नाम अंकित भूमि के दो बार में बैनामा मेरे स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बड़ा करके फर्जी रूप से करा लिए है, जिसकी जानकारी प्रार्थी को इसी माह अप्रैल 2025 में हुई है। उक्त उक्त सभी लोगों ने एक राय होकर अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु बेईमानी की नियत से मूल्यवान जमीन को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से बैनामा कराये गये हैं। जबकि सत्य बात यह है कि सूबेदार पुत्र श्री सुम्मेर मेरे अलावा जगतनगर में और कोई व्यक्ति नहीं है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थी की भूमि के बैनामा में स्थान पर दूसरे व्यक्ति को बड़ा करके, करने व कराने वाले व गवाहन के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा थाना भोगाँव मे दर्ज कराकर वैधानिक कार्यवाही कराने की कृपा करें।''

4– प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि,'' प्रार्थीगण अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण एक सम्भ्रान्त परिवार के व्यक्ति हैं तथा प्रार्थीगण को अंदेशा है कि उक्त मु० अपराध संख्या 148/2026 धारा 420, 467, 468, 471 आई.पी.सी. थाना भोगांव में गिरफ्तार कर सकती है। प्रार्थीगण पूर्णरूप से निर्दोष व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तथा केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं तथा वटाई आदि पर खेती करके अपना व अपने परिवार का जीवीकोपार्जन करते हैं। प्रार्थीगण से रामरहीश यादव पुत्र नामालूम निवासी ग्राम नगला चुन्नी भोगांव जिला मैनपुरी से अच्छी जान पहिचान थी तथा रामरहीश का प्रार्थीगण के घर आना जाना था। वादी मुकदमा सूवेदार से रामरहीश ने बात प्रार्थीगण की बात कराई थी प्रार्थीगण में रूपयो की व्यवस्था न होने के कारण उक्त खेत को क्रय करने से मना कर दिया था। वास्तविकता यह है कि रामरहीश में प्रार्थीगण से कहा कि मै उक्त बिक्रीत रूपया का भुगतान सूवेदार को करा दूंगा तथा आप प्रार्थीगण मेरे रूपयों का भुगतान कर देना तब उक्त भूमि को तुम करना जव तक आप हमारे रूपयों का भुगतान न कर देते तब तक उक्त भूमि को हम स्वयं करेंगे । प्रार्थीगण रामरहीश के कहने पर उक्त सूवेदार से बैनामा वंदना के नाम कराया गया था। प्रार्थीगण पूर्व से वादी मुकदमा को नहीं जानते थे सूवेदार का आधार कार्ड प्रार्थीगण ने देखा था जो सूवेदार का ही था जिस पर सूवेदार का ही फोटो लगा था। बैनामा के समय लगाये गये आधार का अवलोकन बैनामा लेखक एवं उप निबंधक महोदय द्वारा स्वयं किया गया था तथा सूवेदार के बताये अनुसार खाते मे रूपयों का भुगतान किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा कराया गया बैनामा सत्यता के आधार पर आधारित है तथा मामला सिविल प्रकृति का है । वास्तविकता यह है कि किसी भी दस्तावेज मे कहीं पर कोई बनाव बिगाड़ करने का कोई साक्ष्य नहीं है मात्र वादी मुकदमा नें लोगों के बहकाने में आकर विक्रितशुदा हड़पने के अभिप्राय से यह झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। उक्त भूमि का बैनामा होने के वाद सभी औपचारिकताएं एवं जांच होने के वाद उक्त भूमि का दाखिल खारिज भी हो चुका है जिस पर प्रार्थिनी सं0–1 का नाम राजस्व अभिलेखों मे इन्दराज है इससे स्पष्ट है कि वादी मुकद्मा द्वारा जानबूझकर प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने हेतु उक्त झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 4 वर्ष देरी से दर्ज कराई गई है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई

स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के सभी आदेशों व निर्देशों का पालन करेंगे। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने याचना की गयी है।''

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6 विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार अनुसार वादी मुकदमा सूबेदार को वर्ष 1976 में भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण गाटा संख्या 862 क्षेत्रफल 0.3240 एकड़ भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था, जिस पर वह निरन्तर काबिज चला आ रहा है। माह अप्रैल, 2025 में उसे ज्ञात हुआ कि उसकी उक्त भूमि का बैनामा उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा कर दिनांक 03.08.2021 को दो अलग–अलग विक्रय विलेखों के माध्यम से अभियुक्ता वंदना देवी के पक्ष में निष्पादित करा दिया गया है। उक्त विक्रय विलेखों के आधार पर तहसीलदार भोगांव द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही भी कर दी गयी। प्राथमिकी के अनुसार विक्रय धनराशि वादी मुकदमा के खाते में न जाकर किसी अन्य व्यक्ति संजय कुमार के बैंक खाते में जमा की गयी तथा अभियुक्तगण एवं अन्य सहअभियुक्तों ने एक राय होकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मूल्यवान भूमि का फर्जी बैनामा कराया। वादी मुकदमा ने कभी किसी के पक्ष में भूमि का विक्रय नहीं किया तथा उसके नाम का प्रतिरूपण कर उक्त कृत्य किया गया है। अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप धोखाधड़ी का नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति को वास्तविक भूमिधर के रूप में प्रस्तुत कर मूल्यवान अचल सम्पत्ति के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने एवं उनका उपयोग करने का है। क्षेत्राधिकारी भोगांव,मैनपुरी द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मैनपुरी को प्रेषित जॉच आख्या में प्रार्थिनी द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर षडयन्त्र व कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बिक्रीत जमीन का गलत रूप से अंतरण करना कहा गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के हैं तथा गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था– **गुरूबक्स सिंह सीरिया बनाम पंजाब राज्य ए.आई.आर 1980 सुप्रीम कोर्ट–1632** में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 दं.प्रं.स. के अंतर्गत अग्रिम जमानत का उपयोग नियमित रूप से नहीं करना चाहिये, बल्कि इसका उपयोग विशेष व असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये।

8. विधि व्यवस्था पी.चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि०अ०स० 1340/2019 निर्णय दिनांकित 05.09.2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा–438 दं.प्रं.स. के अन्तर्गत दिये गये शक्तियों का प्रयोग कभी–कभार अति–आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये। अग्रिम जमानत स्वीकार किया जाना नियम नहीं है,और अग्रिम जमानत तभी दिया जाना चाहिये जब न्यायालय इस बात से सतुंष्ट हो कि असाधारण उपचार की आवश्यकता है, ऐसे में ही अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिये।

9. उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धातों से स्पष्ट है कि अग्रिम जमानत का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिये। उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं दर्शित की गयी है, जिससे कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित हो। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

10. मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर

छोड़ा जाना न्यायहित में नहीं है। मामले की गंभीरता व तथ्यों को देखते हुये अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण **श्रीमती वंदना देवी एवम प्यारेलाल** की ओर से योजित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र तदनुसार निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः19.06.2026

(रूपेश रंजन)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मैनपुरी

अनिल कुमार अग्रवाल,
पी.ए

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.06.19 14:42:31 +0530